

1.2.24

वकील शर्मा अनुपरिधान । शर्मा स्वयं
अनुपरिधान । चूंकि शर्मा - पर से संबंधित
मूल कार्ड का निरूतारण किया जा चुका
है इसलिए शर्मा - पर 212 RTA एक्ट:
ही औचित्यहीन हो जाता है । अतः
पत्रावली को वर्तमान स्तर पर अक्षम
फैरकी । अक्षम हाजरी में एवारिज किया
जाता है ।

पत्रावली नम्बर से काम की जाका
कार्ड तकमाल मूल कार्ड के सलंगन
है ।

(^{sw}स्वामी गुप्ता)

उपस्थिति अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
दिल्ली